

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 3624 /पांच-8-2015-म(172)/2012टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 01 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-999/चि0-3-2010-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 निशान्त चौधरी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। इस क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के द्वारा इनकी तैनाती आदेश दिनांक 22-04-2010 द्वारा प्राथ0स्वा0 केन्द्र, दतियाना, हापुड में की गई। दिनांक 25-10-2013 से बिना किसी सूचना अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने के उपरान्त डा0 चौधरी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या दिनांक 09-09-2015 एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 निशान्त चौधरी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 निशान्त चौधरी, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 30-12-2015 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

संख्या- 3624 (1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 निशान्त चौधरी, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 30-12-2015 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड/बुलन्दशहर।
- 7- कोषाधिकारी, हापुड/बुलन्दशहर।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(शिवगोपाल सिंह)

अनु सूचिव।